टी बोर्ड भारत
14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता-700001
www.teaboard.gov.in

दिनांक:13.08.2026

कार्यालय आदेश सं. 44/2026

का ज्ञा सं. 93/2026 दिनांक 07.08.2026 एवं कायालय आदेश सं. 11/2025 दिनांक 22.07.2025 के तहत क्यूसीएल, सिलीगुड़ी का प्रभार परियोजना निदेशक डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार को सौंपे जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड उप-नियम 1955 के उपनियम 45 एवं 46 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने क्यूसीएल, सिलीगुड़ी के दैनिक काचर्य को देखने के लिए परियोजना निदेशक डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार को नीचे दी गई वितीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपी हैं। यह इस शर्त पर है कि वे उस कार्यालय का अग्रदाय खाता का रख-रखाव और साथ ही चाय अधिनियम,1953, चाय नियम,1954, टी बोर्ड उप-नियम, 1955 5 और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णयों का पालन करेंगे।

1	प्रति अवसरकिसी एक मद (विकास कार्यों को छोड़कर) पर ₹ 2,00,000 (केवल दो लाख रुपये) तक के खर्च को मंज़ूरी दें।
2	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से मंज़ूरी मिलने पर किसी भी राशि के चेक पर हस्ताक्षर करें। ऐसे मामलों में, भुगतान वाउचर के साथ मुख्यालय के मंज़ूरी पत्र की प्रति भी होनी चाहिए।
3	अधिकतम ₹ 10,000 (केवल दस हज़ार रुपये) तक की इम्प्रैस्ट राशि रखें, जिसमें एक बार में खर्च करने की सीमा ₹ 1,000 हो (विकास कार्यों को छोड़कर)।
4	आवश्यकता पड़ने पर किराया, कर, नगरपालिका, जल शुल्क, बिजली/टेलीफ़ोन बिल आदि के भुगतान के लिए सटीक राशि का चेक हस्ताक्षर करना या बैंक को इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का निदेश देना।
5	क्यूसीएल, सिलीगुड़ी के बैंक खाता का संचालन करें
6	बोर्ड के क्यूसीएल,सिलीगुड़ी से संबद्ध सभी अधिकारियों और कर्मचारियों (स्वंय को छोड़कर) की छुट्टियां मंज़ूर करना (विशेष छुट्टी और सीसीएल को छोड़कर), जिसमें सभी संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं।
7	बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से संबद्ध सभी संविदा कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों के लिए टीए/एलटीसी अग्रिम मंज़ूर करें (सिवाय स्वंय के)।
8	बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से संबद्ध सभी संविदा कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों के दौरा कार्यक्रम को मंज़ूरी देना/सिफ़ारिश करना (सिवाय स्वंय के)

हालांकि, क्यूसीएल सिलीगुड़ी के परियोजना निदेशक और प्रभारी डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार को सलाह दी जाती है कि वे वितीय अनुशासन और विवेकपूर्ण वितीय प्रबंधन के नियमों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि निधि बेफ़िज़ूल खर्च न हों।

इसके अलावा, क्यूसीएल, सिलीगुड़ी के परियोजना निदेशक और प्रभारी डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार, अगले आदेश तक कार्यालय के दैनिक कार्यों के लिए टी बोर्ड के निदेशक (अनुसंधान) को रिपोर्ट करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1	डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार, परियोजना निदेशक और प्रभारी, क्यूसीएल सिलीगुड़ी	
2	निदेशक (अनुसंधान)	
3	उ नि चा वि, सिलीगुड़ी	
4	निदेशक चाय विकास	
5	वि स एवं मु ले अ	
6	लेखा अधिकारी (प्रभारी) (स त/सग)	
7	उपाध्यक्ष/वि स एवं मु ले अ/सचिव के निजी सहायक	
8	आईटी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
9	टी बी ई ए	
10	स्थापना शाखा .	अतिरिक्त प्रतियां सहित .

संदर्भ मिसिल सं. 7(1)/स्था/2019/भाग- III